न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क्र0 1893–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 22–04–14 पारित तहसीलदार, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना प्रकरण कमांक 04/अ–70/13–14.

1– ब्रजेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 लल्लूप्रसाद
2– रामलखन द्विवेदी तनय गजाधर प्रसाद
दोनों निवासी ग्राम जनार्दनपुर, तह0 रामपुर बाघेलान,
जिला सतना, म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूध्द

1– ब्रजकिशोर द्विवेदी तनय तेजभान द्विवेदी
2– अनिल कुमार द्विवेदी उर्फ कल्ली तनय तेजभान द्विवेदी
3– मनोज कुमार द्विवेदी तनय तेजभान द्विवेदी
4– ललित कुमार द्विवेदी तनय तेजभान द्विवेदी
5– श्रीकृष्ण द्विवेदी तनय जमुनाप्रसाद द्विवेदी
6– तरूणेन्द्र शेखर द्विवेदी तनय वीरभान द्विवेदी
सभी निवासी ग्राम जनार्दनपुर, तह0 रामपुर बाघेलान,
जिला सतना, म0प्र0 ——— अनावेदकगण

श्री मंगलप्रसाद शुक्ला, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 15, सितम्बर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना के प्रकरण कमांक 04/अ–70/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22–04–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जनार्दनपुर स्थित प्रश्नाधीन आराजी पर अनावेदकगण ब्रजकिशोर आदि व्दारा जबरन मिट्टी डलवाकर इस वर्ष के माह जून के प्रथम सप्ताह में बंधिया डालकर बेदखल करने से आवेदकगण बृजेन्द्रप्रसाद आदि ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के बाद अपने आदेश दिनांक 22–04–14 व्दारा आवेदकगण का धारा 250 का आवेदनपत्र इस आधार पर खारिज किया है कि बटवारा आदेश के विरूध्द राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है तथा स्वत्व के निराकरण हेतु सिविल वाद लम्बित है। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमियों के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं और आवेदकगण व्दारा खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियों वर्ष 2002–03 से 2006–07, 2007–08 से 2011–12 तथा 2012–13 प्रस्तुत की गयी जिन पर विचारण न्यायालय व्दारा आदेश पारित करते समय कोई विचार नहीं किया गया। अनावेदकगण व्दारा खसरा वर्ष 1982–83 से 1986–87 प्रस्तुत किया है जिसमें तेजपालसिंह बगैरह भूमिस्वामी दर्ज हैं। तहसील न्यायालय व्दारा बगैरह में कौन–कौन भूमिस्वामी है, इसकी जॉच किये बिना अकेले तेजभान को भूमिस्वामी मानने में भूल की है। उनका तर्क है कि वर्ष 1982–83 से 1986–87 तक आवेदकगण सहभूमिस्वामी अंकित थे। राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरण में पक्षकार भिन्न हैं। व्यवहार वाद की छाया प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थी। व्यवहार वाद विचाराधीन होना झूठा एवं मनगढ़न्त है। खसरा पंचसाला में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा अंकित नहीं है, इसलिये पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अनावेदकगण का कब्जा कई वर्षों से होना नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण व्दारा जबरन कब्जा किया गया है, इसलिये संहिता की धारा 250 के प्रावधानानुसार उनके विरूध्द बेखदली की कार्यवाही की जाना चाहिये। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण व्दारा धारा 250 के आवेदनपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदक को कब किस अनावेदक ने किस रूप से बेदखल किया। उनका तर्क है कि स्वत्व के संबंध में विवाद है और प्रकरण राजस्व मण्डल एवं दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। उनका तर्क है कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत 2 वर्ष की समयावधि निहित है, इस अवधि के अन्दर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पटवारी रिपोर्ट से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा बहुत पहले से है। इस कारण तहसीलदार व्दारा धारा 250 का आवेदनपत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय में आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आवेदनपत्र की कण्डिका 3 में आवेदकगण व्दारा यह अंकित किया है कि आवेदकगण की स्वत्व व कब्जे की आवेदित भूमि पर आवेदकगण की गैरजानकारी में मिट्टी डलवाकर 6 बधिया इस वर्ष के माह जून के प्रथम सप्ताह में बनवा लिये हैं। आगे यह भी अंकित किया है कि पूर्व तरफ इन्हीं आराजियातो में लगभग 15 फुट लम्बा उत्तर दक्षिण, 8 फिट चौड़ा पूर्व पश्चिम मकान बनाने हेतु नीच की खुदाई भी कर लिये हैं तथा मकान बनवाने की नियत पर हैं। आवेदन पत्र की कण्डिका 4 में यह अंकित है कि आराजी नं0 442/4 रकबा 0.603, आराजी नं0 442/5 रकबा 0.603, आराजी नं0 442/6 रकबा 0.304 हे. जो आ0नं0 443 के पूर्व तरफ है जिसके कुछ भाग को जबरन सभी अनावेदकगण ने दिनांक 5–7–2013 को जोतवा लिये हैं। इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण व्दारा धारा 250 के आवेदनपत्र में किस प्रकार किस दिनांक को अनावेदकगण व्दारा जबरन कब्जा किया गया, इसका स्पष्ट वर्णन किया हैं। तहसील न्यायालय के अभिलेख में खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियों वर्ष 2002–03 से 2006–07, 2007–08 से 2011–12 तथा 2012–13 उपलब्ध हैं जिनमें प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी आवेदकगण अभिलिखित हैं। संहिता की धारा 250(1–क)(बी) के अन्तर्गत भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक अनुक्रम में बे–कब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो तो

भूमिस्वामी या उसके हित उत्तराधिकार व्दारा 2 के भीतर आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। राजस्व मण्डल या सिविल न्यायालय व्दारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही स्थगित करने के संबंध में अनावेदकगण व्दारा स्थगन आदेश प्राप्त कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण सिर्फ राजस्व मण्डल व सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने से आवेदकगण का धारा 250 का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता था। ऐसी दशा में आवेदकगण का आवेदनपत्र धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलन योग्य होने पर उस पर विधिवत साक्ष्य प्रति–साक्ष्य लेने के पश्चात तहसीलदार को गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिये था।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 22–04–14 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 07–03–09 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को विधिवत गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर